न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 176/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. हिमताराम पुत्र किसनाराम 2. हुकमाराम पुत्र रतनाराम 3. जसाराम पुत्र उमेदाराम जातियान–जाट निवासीगण– ग्राम जाटो की ढाणियां ग्राम बारनाउ तहसील बालेसर जोधपुर।		1. सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर। 2. सरपंच ग्राम पंचायत बारनाउ तहसील सेखाला जिला जोधपुर। 3. पटवारी, पटवार हल्का बारनाउ तहसील बालेसर 4. भू0अ0निरीक्षक, क्षेत्र चामू तहसील बालेसर जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.2019 जो उपखण्ड अधिकारी, बालेसर जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 95/2018 अनवान तहसीलदार बालेसर बनाम समस्त ग्रामवासी बारनाउ वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहरसिंह सोलंकी, पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1,3, 4 की ओर से।

3–रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना के अनपुस्थित है।

निर्णय

दिनांक 19 जनवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बालेसर के द्वारा एक पत्र दिनांक 26.7.2018 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम बारनाउ में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौका पर पाये, परन्तु उनका राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी में अंकन नहीं है जो ख0सं0 103, 99/3, 98, 95, 69, 72, 75, 76, 76/1, 51, 78, 50, 49, 86 में चल रहे आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज करने की अनुशंषा की। जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए आपत्तियॉ आमंत्रित की गई। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.08.2019 के द्वारा तहसीलदार बालेसर के उक्त पत्र अनुसार की गई अनुशंषा के आधार पर ग्राम बारनाउ के उक्त अवस्थित खसरान भूमि की रकबा भूमि में चल रहे सार्वजनिक रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2019 की जानकारी विलम्ब से हुई क्योंकि अपीलाधीन वर्णित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, बालेसर, भू0 अ0 निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा, बिना नोटिस जारी किये, बिना विधिक सुनवाई किये एवं विधि विरूद्ध सम्पादित की गई थी जिसकी पूर्व से अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं हुई। अभी हाल ही में दिनांक 18.9.2019 को जानकारी प्राप्त हुई तब

उसी दिन प्रमाणित नकले प्राप्त करते हुए एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः उपरोक्त आधार पर अपीलान्टस की अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें एवं अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/विपक्षीगण/प्रभावित खातेदारान को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही अपीलान्टस पर विधिवत नोटिस तामील हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुने ही गलत तरीकों से एवं विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही तथा पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक के द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके पर गये बिना ही तैयार की गई मौका रिपोर्ट/फर्द के आधार पर प्रकरण तैयार किया गया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि मौके पर अपीलान्टस की खातेदारी काश्त वाली भूमि में से कोई पुराना रास्ता ही नहीं चलता है और न ही मौके पर कोई रास्ते के अलामात थे। एक खेत में से दो रास्ते दर्ज कर लिये गये एवं मौके की सही तरह से जॉच नहीं की गई। गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण सरपंच एवं अन्य लोगों ने काश्तकारों के फर्जी तरीकों से अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर कर दिये, इतना ही नहीं जिनकी भूमि खातेदारी में से रास्ता भूमि दर्ज की गई उक्त खातेदारो में से उमेदाराम पुत्र देवाराम, उमेदाराम पुत्र खेताराम, अमराराम पुत्र मुकनाराम जो कि अपीलाधीन आदेश पारित होने से 3–4 वर्ष पूर्व ही फौत हो गये थे उनके फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा कर झूठी रिपोर्ट तहसीलदार बालेसर को पेश कर दी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि सरपंच, वार्डपंच, उपसरपंच एवं अन्य ग्रामवासियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.2018 को प्रभारी अधिकारी, न्याय आपके द्वारा अभियान कैम्प बारनाउ के समक्ष प्रस्तुत कर चामू–बारनाउ लिंक रोड से केसरिया कंवरजी होते हुए भोमिया जी का स्थान नाथडाउ सरहद तक कदीमी रास्ते को सरकारी रास्ता घोषित करने बाबत निवेदन किया जिसमें कौनसे खसरे से कौनसे खसरे तक कितना रकबा व रास्ते के लिये भूमि में खातेदारान का विवरण दिये बिना ही तथा कई खातेदारान के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे किये गये व बिना सहमति लिये ही प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी बारनाउ के द्वारा भी खातेदारान की अनुपस्थित में झूठी रिपोर्ट बना ली गई और रिपोर्ट में ग्राम बारनाउ में नियमानुसार मौके पर कदीमी रास्ता मौके पर चल रहा है और रेकर्ड में उसका उल्लेख नहीं है, इस बाबत किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना तथा प्रस्तावित काश्तकार रास्ता दर्ज करवाने हेतु सहमत है। अतः उन खसरान भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने व नक्शे में तरमीम करने हेतु प्रस्ताव पेश कर दिया। परन्तु वास्तव में कई खातेदारान की कोई सहमति नहीं दी गई थी और कई खातेदारान के पूर्व में देहान्त हो चुका था। फिर भी विधि विरूद्ध रास्ते के लिये उक्त खसरान भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शे में गलत तरमीम कर उसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामा0 भी स्वीकृत कर दिया गया जो ग्राम बारनाउ के नामा0 संख्या क्रमशः 1352, 1353, 1354,

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि ग्राम बारनाउ के खातेदार उमेदाराम पिता देवाराम वगैराह की ख0सं0 103, सन्तूदेवी पत्नी उमेदाराम के ख0सं0 99/3, सताराम पिता गंगाराम वगैराह की ख0सं0 98, उमेदाराम पिता किरताराम के ख0सं0 95, हिमताराम पिता किसनाराम के ख0सं0 69, मोहनराम पिता सोनाराम के ख0सं0 72, प्रहलादराम पिता आदूराम के ख0सं0 75, देवाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा के ख0सं0 76, मगाराम पिता गोरखाराम वगैराह के ख0सं0 76/1, हुकमाराम पिता रतनाराम वगैरा के ख0सं0 51, हुकमाराम पिता दीपाराम वगैराह के ख0सं0 78, हिमताराम पिता किसनाराम वगैराह के ख0सं0 50, जसाराम पिता उमेदाराम वगैराह के ख0ंस0 49, अमराराम पिता मुकनाराम वगैराह के ख0सं0 86 की रकबा भूमि में से रास्ते के लिये ली गई है, जिसमें से कई खातेदारान फौत हो चुके है, कई खातेदारान की एक ही भूमि में से दो–दो रास्ते दिये गये व इन खातेदारान में से अधिकतर लोगों की सहमति नहीं थी, फिर भी विधि विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ते के लिये भूमि का राजस्व रेकार्ड व नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2019 को निरस्त किया जाकर उसकी पालना अनुसार स्वीकृत किये गये ग्राम बारनाउ के नामा0 संख्या क्रमशः 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358 को निरस्त किया जावें तथा प्रकरण को पुनः मैरिट पर सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम बारनाउ के विभिन्न खसरान भूमि में से मौके पर चल रहे कदिमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित करते हुए नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार बालेसर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है एवं अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 01.08.2019 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार बालेसर की ओर से प्रेषित पत्र क्रमांक 'रीडर/2022/313 दिनांक 07.12.2022 के संलग्न प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 02.12.2022 पत्रावली पर है, का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना भी प्रकट है। अपीलान्टस के द्वारा अपनी अपनी अपील में मुख्यतः यह निवेदन किया कि उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए तथा तहसीलदार, बालेसर के द्वारा प्रेषित मौका फर्द के अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया जावें। पत्रावली का विवेचन व विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने

आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित तहसीलदार उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर मौका फर्द तैयार करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, बालेसर उक्त मौका फर्द व उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात यदि आवश्यक हो तो पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 19-1-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर